[Mr. Deputy Speaker].

animal which by reason of any disease", the words "employs in any work or labour or for any purpose any animal which, by reason of its age or any disease" shall be substituted'; (5).

Page 4 line 11,—

for "(i)" *substitute* "(ii)" (6).

Page 4, line 14,—

for "(ii)" *substitute* "(iii)" (7).

Page 4, line 16,—

for "(iii)" *substitute* "(iv)" (8).

Page 4, line 22,—

for "(iv)" *substitute* "(v)" (9)

Page 4, line 31,—

for "(v)" *substitute* "(vi)" (10).

Page 4, line 33,—

for "(vi)" *substitute* "(vii)" (11).

(*Shri R. V. Swaminathan*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 10 as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended was added to the Bill.

Clauses 11 to 18 were added to the Bill.

Clause 1—Short Title

Amendment made:

1. Page 1, line 4.—

for "1981" *substitute* "1982" (2).

(*Shri R. V. Swaminathan*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1 as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Thirty-second"

substitute "Thirty-third" (1)

(*Shri R. V. Swaminathan*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Sir, circus animals are treated with great cruelty. I want to know whether they are covered in this or not?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I assure Doctor saheb that the circus animals will also come under this.

Sir, I beg to move:

"That the Bill as amended be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

18.24 hrs.

AIR CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Air Corporation Act, 1953, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Sir, the Air Corporations Act, 1953, was enacted more than 28 years ago. Government propose to make certain amendments to this Act. Four such amendments are proposed. The first two of them—amendments to Section 35(a) and 35(c)—relate to acquisition and disposal of property. The third one is a procedural amendment to Section 44 to bring the provisions in conformity with the recommendations of the Committee of Parliament on Subordinate Legislaion. The fourth amendment is a new sub-section to be introduced in Section 45, as at present, the rules made by the Corporations under the powers vested in them, are not placed before the Table of the House. By the amendment proposed, when the Corporations notify the Rules made by them, these Rules would be laid on the Table of the House. I would now deal with each of these amendments.

Under Section 35(a) of this Act, a limit of Rs. 40 lakhs was prescribed for any capital expenditure for the purchase or acquisition of any immovable property or aircraft. With the passage of time, this limit has been found inadequate because of alround increase in costs. It is proposed to amend this section vesting the powers in the Government to fix monetary limits from time to time.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sharma, let your speech also be short.

SHRI A. P. SHARMA: Yes, Sir, it is very short. I am concluding now.

In other words, by the amendment proposed, the powers to fix monetary limits would be taken over by Government which will, by an order fix the limits from time to time, and within this limit, the Corporations may incur capital expenditure connected with air-transport.

On the same ground, Sir, it is proposed to amend Section 35(c) of the Act dealing with the disposal of property providing an enabling provision to Government to fix the monetary limit from time to time.

The third amendment relates to Section 44(3) of the Act. It is purely procedural in nature. The section provides that every rule made in this Act should be placed before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two successive sesisons etc. The amendment proposed is that such rule could be laid before each House in two or more successive sessions, instead of the present limit of two sessions.

The fourth amendment relates to Section 45 of the Act as at present, the regulations made by the Corporations for the administration of the affairs of the Corporations are not placed on the Table of the House. The amendment proposed is a new sub-section which stipulates that when Corporations make such regulations under this section, these will be placed before each House of Parliament.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Ramavatar Shastri is the only speaker.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल का सहारा ले कर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

एक बात तो मुझे यह कहनी है कि हवाई जहाज समय पर नहीं चलते ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : ट्रेनों से भी बदतर हालत है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यही हो रहा है । मैंने इसी सत्र में एक सवाल किया था, जिस का जवाब एकदम उल्टा दिया गया । ऐसा लगता है कि आप के अधिकारी आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं । हर आदमी यह जानता है कि कोई भी हवाई जहाज समय पर नहीं चलता, एक घंटा, दो घंटा लेट हो जाता है । कोई खास बात हो जाए, तो लेट चलने की बात समझ में आ सकती है लेकिन ऐसी बात नहीं है ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : सारे हवाई जहाज तो लेट नहीं चलते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री: ज्यादातर लेट चलते और मैं जिस हवाई जहाज से पटना जाता हूं, वह शायद ही किसी दिन समय पर

[श्री रामावतार शास्त्री]

चलता हो । आने में और जाने में वह लेट हो जाता है ।

श्री बालेश्वर राम : तो आप ही की वजह से हवाई जहाज लेट होते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक है, अगर आप मुझे भी ठीक नहीं कर सकते, तो भी यह आपकी अक्षमता है । इस को सुधारने की आप कोशिश कीजिये यह मैं कह रहा हूं । मैं आप का ध्यान खींच रहा हूं कि आप निश्चित मत रहिए और नौकरशाहों की बात पर मत जाइए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं । उनमें कई हैं । मैं सब के बारे में नहीं कह रहा हूं । कुछ अच्छे अफसर भी हैं । लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता है ।

एयर पोर्ट पर आपका एक केन्टीन है। वहां के एक मैनेजर हैं । उस केन्टीन में अनुसूचित जाति का एक लड़का अकाउंटेंट असिस्टेन्ट के पद पर काम करता है । हम ने उन मैनेजर से कहा कि उसकी प्रमोशन में गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं ? जो हकदार है उसको प्रमोशन दीजिए । लेकिन उसको प्रमोशन न देकर के जूनियर को उस पद पर बिठा दिया और इस बारे में उन्होंने हम से बहुत भद्दे तरीके से बात की ।

इसके बारे में मैंने शर्मा जी को भी पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा कि वह इस बात को डिनाई करता है । फिर बाद में मुझ से कहा जाता है कि वह कहता है कि उस से गलती हो गयी है । आपके अफसर कम से कम जो कोई भी उनसे बात करें, उनसे ठीक तरह से बात करें । यह केवल एम. पी. का ही सवाल नहीं है । वे हमारी बात न मानें, उसमें उन्हें कठिनाई हो सकती है । मुझे तीन महीने तक अंधकार में रखा गया कि बम्बई हेड क्वार्टर से इस बारे में राय ले रहे हैं । फिर मुझे चिट्ठी आयी कि वह प्रमोशन पालसी में फिट नहीं बैठता है । मैंने फिर चिट्ठी लिखी कि आपकी प्रमोशन पालिसी क्या है? मैंने यह भी पूछा कि केन्टीन में आपने जितने लोगों को प्रमोशन दी है, उसकी आप जांच करें । अगर वह अधिकारी नहीं है तो उसे प्रमोशन मत दीजिए, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा । लेकिन आपका अधिकारी जो जवाब दे देता है उसी को मान लेते हैं यह उचित नहीं है । इस मामले की जांच होनी चाहिए कि उसके मामले में प्रमोशन पालिसी को तोड़ा गया है या नहीं। अगर तोड़ा गया है तो तोड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए और गलती को सुधारा जाना चाहिए ।

मैं इसकी तरफ आपका ध्यान इस विधेयक का सहारा ले कर खींचना चाहता था । उस लड़के का नाम विजेन्द्र है और वह अकांउटेंट असिस्टेंट का काम करता है । मैं समझता हूं कि उसके साथ अन्याय हुआ है । लेकिन इस शंका को आप दूर कर सकते हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : सर, शास्त्री जी ने अभी जो कहा कि इस बिल का सहारा ले कर के वे कुछ कहना चाहते हैं । इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है वह इस बिल के तहत नहीं आता है । लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा उसको मैं जरूर देखूंगा । एक बार तो मैं देख चुका हूं, पुनः उसको देखूंगा और देख कर के जो उसमें सही बात होगी, जो मुनासिब होगी उसको करूंगा भी ।

शास्त्री जी ने सिर्फ पंकचुएलिटी की बात कही है । पंकचुएलिटी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मार्च के महीने में हमारी 80 परसेंट पंकचुएलिटी रही है । मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में यह बहुत अच्छी रही है । (व्यवधान) मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता । यह पंकचुएलिटी में सुधार हुआ है ।

जैसा कि आपने भी स्वीकार किया है कि कहीं कहीं देर होती है । उसमें कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं । उन कारणों से देर हो जाना स्वाभाविक है । लेकिन आम तौर पर हम प्रयास करते रहते हैं कि हम समय पर

हवाई जहाज को चलाए । जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारी फ्रीक्वेन्सी 80 प्रतिशत पिछले महीने में हुई, वह इस बात का द्योतक है कि हम किस तरह से अपनी हवाई सेवाओं को मेन्टेन कर रहे हैं ।

जहां तक इस बिल का सवाल है, यह तो एक टेक्नीकल नेचर का है । इस बिल के द्वारा हम पावर ले रहे हैं कि जो दस और चालीस लाख रुपये का लिमिटेशन है वह काफी न होने के कारण समय पर हम कितना ले सकेंगे, उसका कारण हम निर्धारण करेंगे । इस बिल का इतना ही मकसद है ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now I shall put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House. The question is:

"That the Bill further to amend the Air Corporations Act, 1953, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up clause by clause consideration of the Bill. In clauses 2 to 4 there are no amendments. The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1--Short Title . . . . .

Amendment made:

Page 1, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982" (2)

(*Shri A. P. Sharma*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Third-second" *substitute* "Thirty-third". (1).

(*Shri A. P. Sharma*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI A. P. SHARMA: I beg to move:

"That the Bill as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

18.37 hrs.

THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) AMENDMENT BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 has been the subject of review by the Government in consultation with various interests. As a result of these consultations, it has been felt that certain amendments in this Act are